उपसंहार

सन् 1800 ई. तक शायद ही किसी ने यह कल्पना की होगी कि एक सदी बीतते-बीतते खड़ी बोली के रूप में एक ऐसी भाषा का उदय होगा जो उत्तर भारत के बड़े मू-भाग पर बोली जाने वाली तमाम भाषाओं को पिछड़ते हुए हिंदी के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगी और राष्ट्रीय स्तर की सबसे शक्तिशाली भारतीय भाषा बन जाएगी। ऐसा तब हुआ जबकि ब्रज व अवधी जैसी भाषाएँ तत्कालिन साहित्य व समाज परिवर्तन की प्रमुख भाषाओं के रूप में प्रतिष्ठित थीं। विदेशी भाषाओं के बदले प्रभाव व शक्ति तथा तत्कालिन प्रमुख भाषाओं के बीच हिंदी इस देश की महत्वपूर्ण भाषा बनी। यह सब तब हुआ जबकि परिवर्तन की गति बहुत धीमी थी, संचार व प्रचार-प्रसार के साधन काफी सीमित थे। आज जबकि परिवर्तन के साधनों संचार साधनों, इंटरनेट व इलेक्ट्रानिक जन संचार, माध्यमों आदि के कारण दुनिया सिमटती जा रही है, परिवर्तन की गति पहले से बहुत तेज है। ऐसे में अगले पचास सालों में भारत की कौन-कौन सी भाषाएँ दम तोड़ देगीं और कौन-कौन सी भाषाएँ बची रहेंगी? क्या हिंदी भाषाँ भाषा श्री एक भाषा के रूप में अपने अस्तित्व को बचाए रख सकेंगी? या फिर विकास की प्रक्रिया से गुजरकर नए रंग-दंग में, नए रूप में व्यवसायिक भाषा राष्ट्रभाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में सामने आएगी और अपनी विजय पताका फहराएगी?

इस संबंध में देखा जा सकता है कि एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं। जहाँ एक भाषा जो हिंदी को अपने बाले कल की सर्वप्रथम भाषा के रूप में देखता है, तो दूसरे भाषा का मानना है कि भूमिका इनका रूप दौर में न केवल हिंदी बल्कि सभी भारतीय भाषाएँ धीरे-धीरे हासिल कर जा रही हैं। दोनों ही भाषाओं के पास अपने विचार के पक्ष में दोस तर्क वर्णमाला है। जहाँ हिंदी के भविष्य के प्रति आशावादी लोगों को दूसरा पक्ष अति आशावादी और अथर्ववादी करार देता है, वही दूसरे पक्ष को हिंदी के भविष्य के प्रति विचार अड़ते लोगों को निराशावादी करार दिया जा रहा है।

वर्तुस्थिति क्या है? हिंदी के विकास की दशा-दिशा व संभावनाएँ क्या हैं। इस संबंध में प्रसिद्ध पत्रकार राजकीयों का यह कथन अत्यधिक सटीक है-"भाषाओं के जीने-मरने का सरल सा नियम यह बनाया जा सकता है कि अंततः वही भाषा बचेगी जो जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरी कर सके। भाषा सिर्फ साहित्य रचने के लिए नहीं होती, व्यवसाय, वाणिज्य, राजनीति और प्रशासन के लिए भी होती है। पर की ओर बाजार की भाषा अधिक समय तक अलग नहीं हो सकती। जब इनमें संघर्ष होगा तब घर की भाषा अतंतः बाजार की भाषा
के सम्मुख अपने घुटने टेक देगी।" यानि व्यवसायिक क्षेत्र की भाषा ही अंतः किसी भाषा के विकास में निर्णायक भूमिका निभाएगी। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर पिछले सात अध्ययनों में व्यवसायिक क्षेत्र में हिन्दी के विकास पर तथ्यासनक आधार पर विस्तृत विचार विवरण पर विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जिसके आधार पर वास्तविकता को समझा जा सकता है।

उपरुक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि अपने प्रयोजन मूलक स्वरूप में व्यवसायिक क्षेत्र की भाषा का, भाषा के अन्य रूपों में अपना एक अलग चरित्र है। भाषा के भाषागत व प्रसारण विकास की दृष्टि से व्यवसायिक क्षेत्र की भाषा का अपना महत्व है। यह भी स्पष्ट है कि शासन-प्रशासन का जनन की भाषा बनकर ही कोई भाषा व्यवसायिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा पाती है और लोकप्रियता प्राप्त करती है। इस दृष्टि से इस पात्र है कि अपने विशिष्ट रूपों में सदियों से राजकाज और कामकाज की भाषा बनते हुए अंतः हिंदी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक विशेष तथा महत्वपूर्ण स्थिति बनाई है। लेकिन लंबी प्रारंभिक के कारण अतीत में ही हिंदी व भारतीय भाषाओं के विकास के मार्ग में बाधाओं ने जनम लेना आरम्भ कर दिया था। आगे चलकर स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही भाषाओं भाषाओं के संघर्ष की शुरुआत हुई। स्वतंत्रता सेनानायिनी ने इस बात को भलेभलति समझ किया था कि भाषाओं स्वतंत्रता के बिना देश की स्वतंत्रता अंधूरी है।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी महात्मा गांधी ने विवेकी भाषा के अध्ययन से हो रही क्षति को काफी पहले ही समझ लिया था। 1916 में डा. मेहता द्वारा लिखित पुस्तक "भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश की भाषाएँ शिक्षा का माध्यम बने" की प्रस्तावना में गांधी जी ने लिखा था-'देश की भाषाओं की उपेक्षा करना देश के लिए आम्हारतक है। अपनी देशी भाषाओं के प्रति विश्वास गौंवने के लिये है। देश के अपना विश्वास खो गये हैं। यह पतन की निशानी है।'

ठीक यही हुआ भी स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश शासन के दौरान ही देश में ज्ञान-विज्ञान, प्रशासन सहित समस्त व्यवस्था अंग्रेजी और अंग्रेजों के माध्यम से चलने लगी थी। हमारे पास अपने ज्ञान-विज्ञान की परंपराओं के सौंदर्य सूक्ष्म चुके थे और हम काफी हद तक अंग्रेज और अंग्रेजों के आश्रित हो चुके थे। स्वतंत्रता के पश्चात हम राजनीतिक तीर का हम स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्रता के पश्चात हम राजनीतिक तीर पर हम स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्रता के पश्चात भी व वक्ता के शिखर पर बैठे लोगों ने नकल पर आधारित व्यवस्था को आगे बढ़ाने में सुधिता अनुभव की। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने पर हम पाते हैं कि हमारी शासन-प्रशासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शिक्षा तंत्र, राजतंत्र सहित सभी व्यवस्थाएँ लगभग अंग्रेजों द्वारा छोड़ी गई व्यवस्थाएँ हैं। अगर आसान तन्त्र में कहें तो यह कहा जा सकता

1. जनसतात ओर नरसिंह, कुछ भाषा के मरने वाले दीर्घवर्ती लेखक-राजनिवार्थ, पुस्तक 205
2. राजभाषा हिंदी- प्रशासनिक विभाग, राजनीतिक, सिन्धुवास विभाग, शिक्षा का माध्यम हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं, लेखक-विश्वसूर (620)
है कि हम ज्ञान-विज्ञान के सभी क्षेत्र अंग्रेजी या अंग्रेजी के आधिकारिक होकर रह गए हैं, इसलिए हमारे देश में ज्ञान-विज्ञान अंग्रेजी का पयार बन गया है। अंग्रेजी की नकल करने की प्रवृत्ति इस हद तक बढ़ती गई कि हम जीवन के हर क्षेत्र में अंग्रेजी की नकल करते दिखाई देते हैं।

ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता के पश्चात स्वभाषा पर विचार नहीं हुआ। जैसाकि हमने प्राचीन तीन में देखा कि संविधान निर्माताओं ने हिंदी भाषा को न केवल राष्ट्र की राजभाषा बनाया बल्कि हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में विकसित करने की बात की। इस दृष्टि से काफी प्रयास हुए बड़ी-बड़ी योजनाओं निम्न, कानूनी बने और आज भी इस दिशा में प्रयास जारी हैं। लेकिन आगे चलकर संविधान में निहित मूलभावना निरोहित होती चली गई। सुविधा की नीति और राजनीति की सुविधा अंततः संविधान की मूल भावना पर हाय होती चली गई। हिंदी राजभाषा तो बनी लेकिन अंग्रेजी अपने स्थान से नहीं हटी। न्यायव्यवस्था में भी अंग्रेजी का वर्चस्व बना रहा। इसलिए जो अपेक्षाएँ थी वे पूरी नहीं हुई। ऐसा नहीं कि हिंदी भाषा का विकास नहीं हुआ लेकिन कितने क्षेत्रों में हिंदी भाषा का विकास हुआ? किन क्षेत्रों में हिंदी सीमाओं में बढ़कर रह गई, इसे समझने के लिए हमें भाषा व प्रसार के स्तरों हिंदी के विकास की अलग-अलग विवेचना करनी होगी तथा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर सही निष्कर्ष पर पहुँचना होगा उन कारकों को भी खोजना होगा जिनके कारण राजभाषा का पद पाने के प्राचीन हिंदी आज भी शासनतंत्र, न्यायतंत्र, अर्थतंत्र, शिक्षा तंत्र से लेकर जीवन के हर क्षेत्र में दोस्तव बनी की भाषा बनी हुई है और अपने वास्तविक स्थान को पाने की बात जोह रही है।

भाषिक स्तर पर हिंदी भाषा का विकास

इसमें कोई संदेह नहीं कि बीसवीं शती में भाषिक स्तर पर हिंदी का तेजी से विकास हुआ है। जहाँ हिंदी भाषा को तत्सम शब्दों के रूप में उत्तराधिकार में संस्कृत की सम्पन्न प्रथा शब्दावली प्राप्त हुई वहीं छोटी बोली के रूप में इसकी अपनी तद्भव शब्दावली भी विकसित हुई। अरबी-फारसी की शब्दावली व शब्दशैली से भी हिंदी को बड़ी संख्या में समानान्तर शब्दावली का प्रचुर भंडार मिला। साथ ही अंग्रेजी के माध्यम से कई अन्य यूरोपीय भाषाओं के शब्दों को अपनाकर भी हिंदी ने अपनी शब्दावली शक्ति को काफी बढ़ाया।

शब्दावली स्तर पर

आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की भाषा के रूप में तैयारी हेतु सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर प्रयास किए गए। उसने भी हिंदी की शब्द संपर्क को काफी विकसित किया। हालांकि इन प्रयासों के साथ हिंदी का फूल ऐसे शब्द बनाया जो हिंदी को हाय का पात्र बना देते हैं। लेकिन अंततः हिंदी ने अंग्रेजी, उर्दू, तथा निर्मित शब्दावली में आवश्यकतानुसार सरल, स्वाभाविक शब्दों का आलंपाल कर अन्य शब्दों के बोझ को उतार देका। इस प्रकार शब्दावली स्तर पर हिंदी की स्थिति काफी मजबूत हुई।
जिस प्रकार बाजार की शक्तियाँ वस्तुओं की मांग-पूर्ति के संतुलन से बाजार भाव तय करती हैं। यद्यपि उसी प्रकार बाजार की भाषा अपनी अवस्थकतानुसार अपनी शब्दावली तय कर उसे जनता तक पहुँचाती है। इसी प्रकार बाजार की भाषा के रूप में हिंदी शब्दावली ने काफी प्रगति की। इस प्रकार व्यक्तिक्षेत्रों के व्यवहार की प्रमुख भाषा के रूप में हिंदी भाषा की शब्दावली को एक नजदीक आधार मिला।

रूपांतरण पर

शब्दावली की तरह को शैलीगत रूप पर भी हिंदी भाषा ने अरबी-फारसी की शैली के साथ तादात्मय स्थापित कर उत्कृष्ट के रूप में अपने एक विशेष शैली विकसित कर ली थी। आगे चलकर हिंदी पर भी अंग्रेजी की भाषा शैली का भी खासा प्रभाव पड़ा। विशेषकर स्वतंत्रता के पश्चात जब अंग्रेजी कार्य का हिंदी में अनुवाद होने लगा और हिंदी को अनुवाद की भाषा बनाया गया तो इस पर अंग्रेजी की भाषा शैली का काफी प्रभाव पड़ा इससे कहीं-कहीं शैलीगत दोष उपन्य लिए, इसी को कुछ भाषाविदों ने शैलीगत विकास का रूप दिया। इन सब कारणों से शैलीगत रूप पर ही हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति की शक्ति में निरंतर वृद्धि हुई।

विभिन्न व्यक्तिक्षेत्रों के परम्पराओं, आवश्यकताओं और उनके विशिष्ट स्वरूप ने हिंदी भाषा की शैली को नए आयाम दिए। अपेक्षाकृत जटिल होने के बावजूद कार्यालयीन क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र की भाषा के रूप में हिंदी भाषा की विशिष्ट कार्यालयीन शैली व विकसक शैली का विकास हुआ।

आजजबकि विभिन्न व्यवसायों और इनके व्यवहारों की भाषा के रूप में हिंदी ने राष्ट्रिय स्वरूप ग्रहण किया है तो इसमें क्षेत्रीय भाषा की शैली व शब्दावलियों का भी प्रभाव दिखाई देता है। यूं भी हर क्षेत्र में हिंदी तत्कालीन क्षेत्रीय शैली व शब्दावली के साथ अपने विशिष्ट स्वरूप में दिखाई देती है।

इस प्रकार निरसंधेख यह कथा जा सकता है कि व्यक्तिक्षेत्र में तथा व्यक्तिक्षेत्र के माध्यम से भाषिक रूप पर हिंदी भाषा का चहुँदेखी विकास हुआ है और हो रहा है।

लिपि स्तर पर

हिंदी भाषा की लिपि यानि देवनागरी लिपि ने भी व्यक्तिक्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार अपनी प्रकृति में परिवर्तन करते हुए न केवल हिंदी के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं की प्रकृति के अनुसार स्वयं को बदला है। यहाँ भी मूल दृष्टि लिपि को सरल किए जाने की रही है लेकिन हम पाते हैं कि यह प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और प्रयोग के स्तरों पर इसमें अनेक नए-पुराने रूप प्रव्यसित हैं। जहाँ कुछ प्रयोक्ता आज भी पुराने स्वरूप से चिपके हैं, वहीं कुछ पत्र-पत्रिकाओं व प्रकाशन इस क्षेत्र में नए प्रयोग करते दिखाई देते हैं। आवश्यकता इस बात
की है कि शिक्षा जगत, विद्यान तथा हिंदी पत्रकारिता व प्रकाशन उद्योग के लोग मिल-बैठकर इस संबंध में कुछ निर्णय ले ताकी लिपि के स्तर पर एककृतित हो तथा देवनागरी लिपि के अस्तित्व में लिपि चिह्नों व इनके रूपों को तिलांजोली देते हुए सर्वाधिक नामक लिपि चिह्नों व प्रयोगों को स्वीकार किया जा सके और किसी प्रकार की भ्रम की संभावनां ना रहे।

यहाँ इस दिशा में भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है कि हिंदी सहित मराठी, कोंकणी आदि समान लिपि वाली भाषाओं के समान राज्यों की वर्तमान है। इससे प्रयोग के स्तर पर इस क्षेत्र में उपस्थित भाषाओं को समान भाषा त किया जा सकेगा।

तकनीकी स्तर पर

आज जबकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की क्रांति सी आ गई है, कंप्यूटर के माध्यम से भाषा प्रौद्योगिकी काफी आगे निकल चुकी है। और व्यवसायिक क्षेत्रों में अधिकांश कार्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पर आधारित अपारिपूर्ण प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया जा रहा है। लेख, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा सूचना संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में तो कंप्यूटर से जुड़ी प्रौद्योगिकी ने लगभग अपना वर्तमान स्थापित कर दिया है। इसके दृष्टि में हम क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का मूल चौत्र अंग्रेजी देश व अंग्रेजी भाषा है, जहाँ से हमें अंग्रेजी भाषा से संपर्क नित नई भाषा प्रौद्योगिकी की आपूर्ति हो रही है। इसलिए इस क्षेत्र में हिंदी व भारतीय भाषाओं को आए दिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

ऐसे में व्यवसायों, शिक्षा, ज्ञान-विज्ञान तथा जनसंचार आदि के क्षेत्र में हिंदी भाषा के असिल के लिए इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सुदृढ़ व्यवस्था करनी होगी। हालांकि संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसार इस क्षेत्र में भारत सरकार जातिभाषा विभाग द्वारा तकनीकी कक्षा तथा विभिन्न सरकारी तकनीकी संस्थानों के माध्यम से काफी प्रयास किए जा रहे हैं। और काफी सफलताएँ प्राप्त की गई हैं। लेकिन प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पिछड़े होने के कारण हम इस क्षेत्र में काफी पीछे चल रहे हैं। जब तक हम किसी भाषा प्रौद्योगिकी को हिंदी व भारतीय भाषा के लिए तैयार करते हैं तब वह पुरानी हो जाती है। इसलिए इस संबंध में सुनिश्चित प्रयास करने होंगे जिससे हिंदी भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में न पिछड़े। अब यह संभव नहीं लगता कि भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा इसके दिन ज्ञान विज्ञान व व्यवसायिक क्षेत्रों में टिकी रहा जा सके।

प्रसार के स्तर पर हिंदी भाषा का विकास

विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों, उपक्षेत्रों आदि के कार्य में हिंदी के प्रयोग संबंधी स्थिति को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वतंत्रता के पश्चात देश में हिंदी भाषा का तेजी से प्रसार हुआ है न केवल जनसंपर्क भाषा के रूप में बल्कि व्यावसायिक क्षेत्रों में भी हिंदी भाषा का व्यापक प्रसार हुआ है लेकिन इनके बाद भी यह कहना कठिन है कि भारत में व्यवसायिक क्षेत्रों में हिंदी भाषा
गो सही स्थान मिल सका है। इससे लिए हमें व्यवसायिक क्षेत्रों में उन हिस्सों को देखना होगा जहाँ हिंदी का प्रसार तेजी से हुआ है, हो रहा है। साथ ही उन क्षेत्रों को भी देखना होगा जहाँ हिंदी का प्रसार कम है, नगण्य है या फिर जहाँ हिंदी भाषा के प्रसार का मार्ग अवसर हुआ है।

निस्संदेह आज कार्यालयीन क्षेत्र में हिंदी भाषा का प्रसार हुआ है, लेकिन तभी आरक्षण भी बाबुवुद यह सत्य है कि सरकारी कार्यालयों में हिंदी में होने वाला कार्य अधिकांश: या तो अंग्रेजी का अनुवाद है या फिर अंग्रेजी से अनुवाद किए दिखाई (अंग्रेजी-हिंदी) या हिंदी के नेमी किस्म के रूटिन पत्रिकाएं हैं, जो साइक्लोस्टाइल फोटो कंप्यूटर आदि की मदद से बार-बार निकाले जा रहे हैं। उनमें भी हिंदी कितने प्रतिशत होती है यह प्रश्न विचारणीय है। आज भी केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों में महत्वपूर्ण व मूल रूप से तैयार पत्रादि संहित सभी दस्तावेज मूलतः अंग्रेजी में ही तैयार किए जाते हैं। निजी क्षेत्र के कार्यालयों में तो हिंदी कागजात शायद ही देखने को मिले।

इसके विपरीत यह भी सत्य है कि उपयुक्त सभी कार्यालयों में विचार-विमर्श, चर्चा तथा मौलिक स्तर पर आदेश-निर्देश व संप्रेरण की भाषा मुख्यतः हिंदी ही है। यानी जब मानसिक स्तर पर किसी मामले में मौलिक रूप से विचार अभिव्यक्त होते हैं तो भाषा भी मौलिक यानी सामान्य व्यवहार की भाषा अर्थात हिंदी ही होती है।

यदि आँकड़ों को छोड़ दें तो सरकारी संस्थाओं/बैंकों में वस्तुतः नियमों, आदेशों के अंतर्गत कुछ दिखाई देती हिंदी या रुटिन किस्म के कुछ कार्यालय को छोड़कर प्रायः समान कार्य अंग्रेजी में ही होता है। मूल रूप से बनने वाले प्रस्ताव, लिए जाने वाले नीतिगत निर्देश, आदेश तथा अनुवाद, कसर रिपोर्ट प्रायः अंग्रेजी में होते हैं, भले ही बाद में उनका हिंदी अनुवाद हो। निजी बैंक व वित्तीय संस्थाओं में तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है। अजैकल जबकि अधिकांश कार्य कंप्यूटर नेटवर्किंग के माध्यम से हो रहा है जो कार्य पहले हिंदी में होते थे, अंग्रेजी में होने लगे हैं। सरकारी आदेशों के बाबुवुद उपक्रम व सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों, बैंकों, वित्तीय व बीमा संस्थाओं में भी ये सब केवल अंग्रेजी में हैं। परिणाम स्वरूप हिंदी यहाँ हासिल पर है।

इस क्षेत्र में भी व्यवहार की भाषा के रूप में हिंदी सबसे आगे है। यदि देखा जाए तो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं आदि का अपने ग्राहकों तथा व्यवसायियों से अधिकांश संपर्क हिंदी के माध्यम से ही होता है। बैंक कर्मचारों से चर्चा परिचरा, आदेश-निर्देश की भाषा भी हिंदी ही है। इसी प्रकार ग्राहकों के साथ होने वाली बैठकों का माध्यम भी प्रायः हिंदी होता है, लेकिन अलग तरह पर इसी कागजात अंग्रेजी में उतरने लगते हैं। व्यवसायिक दस्तावेज भी प्रायः अंग्रेजी में ही बनते हैं।

जहाँ तक बाजार की भाषा का सांबंध है यहाँ भी बोलचाल में हिंदी भाषा का वर्चस्व है। अनाज व्यापार, कपड़ा, रसायनभूषण व्यापार आदि सहित व्यापार के अधिकांश क्षेत्रों में खुदाई व्यापार से दोस्त व्यापार तक व्यवसायिक गतिविधियाँ हिंदी भाषा के माध्यम से ही चलती हैं। लेकिन
लिखित स्तर तक आते-आते यहाँ भी अंग्रेजी आ जाती है। आजकल अधिकांश व्यापारिक अनुबंध तथा लेख-देन संबंधी लिखित दस्तावेजों व पत्रादि की भाषा अंग्रेजी होती है। शेयर बाजार तथा पूंजीबाजार का तूँ पूँजीरोधार अंग्रेजी में ही है। भले ही शेयर दलल अपने मोती भाव से लेकर सभी सौदे हिंदी में करे, लेकिन कंप्यूटर के माध्यम से या दस्तावेजी माध्यम से लिखित रूप में सारा काम अंग्रेजी में ही होता दिखाई देता है।

प्रचार माध्यमों को ही लें तो यहाँ भी यह फरक साफ़ दिखाई देता है। जो विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अधिकांशतः रेडियो टीवी के विभिन्न चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होते हैं, कई बार वही विज्ञापन लिखित रूप में यानी प्रिंट मीडिया में या तो अंग्रेजी समाचार पत्रों की झोपड़ी में चले जाते हैं या फिर हिंदी या भाषायी समाचार पत्रों में भी अंग्रेजी में दिखाई देते हैं।

जनसांचार माध्यमों में यह अंतर तेजी से उभरकर सामने आ रहा है। जहाँ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम से बहुत आगे है। वही हिंदी समाचार पत्रों के संख्यागत विकास के बावजूद अब शिक्षित मध्यमवर्ग भी हिंदी या भाषायी समाचार पत्रों के बजाए अंग्रेजी समाचार पत्रों की ओर मुड़ता जा रहा है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि व्यापारीक क्षेत्रों में मौखिक व्यवहार या वाचक स्तर पर हिंदी भाषा का जितना तेजी से विकास हो रहा है, लिखित स्वरूप में हिंदी भाषा के विकास की गति बाधित हो रही है, यहाँ इस स्थान पर न केवल अंग्रेजी बनी हुई है बल्कि इस क्षेत्र में अंग्रेजी हिंदी सहित भाषाओं को पीछे छोड़कर दिखाई देती है।

**व्यापारीक क्षेत्रों में हिंदी के विकास की आधार***

हिंदी भाषा का विकास अंतर राष्ट्र की व्यवस्थाओं के माध्यम से अंतर-राष्ट्रीय श्रेणियाँ ही निर्धारित होता है जैसकि हमने पहले चर्चा की कि ऐतिहासिक कारणों से भारत में लंबे समय तक ज्ञान-विज्ञान, शासन-प्रशासन व शिक्षा आदि भाषा के रूप में हिंदी व भारतीय भाषाओं के स्थान पर विभिन्न प्रदेशों में कभी अर्थ-फारसी का तो कभी अंग्रेजी, पुर्तगाली या फ्रांसीसी भाषा का अधिपत्य रहा। विदेशी सामाज्य के साथ-साथ विदेशी शासकों की भाषा ही भारत में ज्ञान-विज्ञान, शिक्षा तथा शासन की भाषा भी बनी रही। ब्रिटिश शासन में इन क्षेत्रों में अंग्रेजी ने अपनी जड़ें मजबूत की। तनाम विलोमण से ज्ञान होता है कि स्वतंत्रता के पश्चात स्थितियों में आशा के अनुसार कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित रहे-

**शासन-प्रशासन व्यवस्था***

15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के साथ ही देश में स्वशासन के तहत सरकार का हस्तांतरण तो हुआ, विदेशियों के स्थान पर शासन-प्रशासन के पदों पर तो भारतीय बैठे, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। शासन व्यवस्था से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था में कोई दुनियादी परिवर्तन नहीं
आया। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रशासनिक ढांचे का स्वरूप लगभग वैसा ही बना रहा। सभी स्तरों पर अधिकारी उसी प्रशासनिक भाषा—शैली व प्रारूपों को उसी ढंग से प्रयोग में लाते रहे, जैसे कि स्वतंत्रता पूर्व प्रयोग करते थे।

आज स्वतंत्रता के इतने समय बाद भी थोड़े बहुत नाममात्र के परिवर्तनों के साथ लगभग पूरे देश में अंग्रेजी द्वारा बनाई गई प्रशासनिक व्यवस्था व प्रशासनिक भाषा लगभग यथावत् प्रयोग में लाई जा रही है। हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं के नाम पर जो कुछ भी या, जितना कुछ भी, वह उसी भाषा का अनुवाद है। वह अनुवाद भी अधिकारी: अंग्रेजी भाषा की शैली से आक्रामत दिखाई देती है। ज्यादातर कार्यालयों में अधिकारी—कर्मचारी पुरानी फाइलों, पुराने मसौदों की नकल करते हैं शिखर दिखाई देते हैं स्वतंत्रता पूर्व से ही कार्य इसी तरज पर चला आ रहा है, इसलिए शुरू में तीन-चौथे ही होने का है और बाद में उसका अभ्यास होने पर, हर कोई अंग्रेजी में ही कार्य करता है। सच तो यह है कि जब व्यवस्था नहीं बदली तो व्यवस्था की भाषा कैसे बदलेगी? इसलिए आज भी सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी का वर्चस्व है। इसलिए विभिन्न व्यवसायों से संबंधित लोग सरकारी कार्य अंग्रेजी में ही करते हैं।

न्याय व्यवस्था

सभी व्यवसायों का संबंध किसी न किसी रूप में न्यूनाधिक न्याय व्यवस्था से होता है। स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश में न्यायव्यवस्था उच्चतम स्तर पर लगभग पूरी तरह तथा निचले स्तर पर काफी हद तक अंग्रेजी में ही बनी हुई है। इसलिए कराराधन संबंधी मामले, अनुबंध, करार आदि सहित विभिन्न वस्तावेज व विधिक और सामान्य कर्मी की भाषा अंग्रेजी ही है। अधिनियम, नियम, सामान्य आदेश भी मूलतः अंग्रेजी में ही बनते हैं। विवाद की स्थिति में भी अंग्रेजी अनुवाद को ही अधिक प्रमाणित माना जाता है। न्यायालयों द्वारा निर्णय प्राप्त अंग्रेजी में ही दिए जाते हैं, इसलिए तत्कालीन विश्लेषण व विधिक साहित्य भी अंग्रेजी में ही है। संस्करण में कहा जाये तो यह है कि हमारे देश में कानून व न्याय की भाषा अंग्रेजी ही है। ऐसे में किसी भी व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह कैसे समझ है कि वह कानून और न्याय से जुड़े किसी कार्य को अंग्रेजी से इसी किसी अन्य भाषा में करने की सोचे। परिणामस्वरूप कानूनी व न्यायिक समस्याओं से बचने के लिए कठिनाइयों व विलम्ब के बावजूद व्यवसायिक क्षेत्र के लिए लिखित रूप में अंग्रेजी को अपनाना आवश्यक हो गया है। आज की स्थिति में शायद ही कहीं अपवाद स्वरूप कोई कंपनी या संस्था होगी जो अपने कानूनी वस्तावेज हिंदी में तैयार करवाती होगी।

शिक्षा व्यवस्था

यह सर्वविद्वान है कि आज भी हमारी शिक्षा प्रणाली का आधार लाई कॅटलैंड द्वारा बनाई गई शिक्षा प्रणाली है, जो उसने भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था की जड़े भज्जूत करने के लिए बनाई
हिंदी भाषा शब्दावली

इस प्रकार हिंदी कार्य में अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के बजाए मूल रूप से कार्य हिंदी में किए जाने की आवश्यकता है, ताकि हिंदी भाषा अपने सरल, स्वाभाविक प्रवाह के साथ भाव को सहज रूप से स्पष्ट कर सके।

राजभाषा व्यवस्था

स्वतंत्रतापूर्व स्वतंत्रता सेनानियों ने पूरे देश के लिए एक राष्ट्रभाषा का सपना देखा था। राष्ट्रभाषा से अभिव्यक्ति: एक ऐसी भाषा से होता है जो पूरे देश के लोगों के बीच सरकारी तीर्थ पर संपर्क व व्यवहार की भाषा बने। केवल सरकारी क्षेत्रों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी हिंदी को केवल संघ सरकार की राजभाषा बनाया गया जहाँ पहले से अंग्रेजी
विराजमान थी। जब अंग्रेजी हटाई नहीं गई तो हिंदी वहाँ कैसे आती। राज्यों में भी राज्यों की क्षेत्रीय भाषाएँ राजभाषाएँ बनीं, लेकिन वहाँ भी अंग्रेजी जमी रही। निजी क्षेत्र के लिए तो कानून—नियम आदि के अनुपलन के लिए भी राजभाषा का पालन करने का प्रवधान नहीं किया गया। राजभाषा संबंधी प्रवधान भी बने लेकिन उनका उल्लंघन करने पर भी किसी दंड का विधान न होने पर इन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया।

इसका परिणाम यह हुआ है कि राजभाषा के रूप में हिंदी संघ सरकार व हिंदी भाषी राज्यों के कार्यालयों में सीमित व्यवहार की भाषा बन कर रह गई है, जबकि अंग्रेजी पूर्ववत् राजभाषा के रूप में जमी हुई है। अंदरी भाषी राज्यों विशेषकर दक्षिण व उत्तर के राज्यों में तो राजभाषा के रूप में कार्यालयी कार्य में हिंदी कार्य नगण्य है।

यही राजभाषा के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय सरकार व सभी राज्यों के बीच अगर कोई एक समान संपर्क भाषा है, तो वह अंग्रेजी भाषा है जो सभी स्तरों पर सर्वमान्य है। इसलिए निजी क्षेत्र सभी स्तरों पर इस भाषायी एकरूपता व सर्वमान्यता के बलते अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करने में सुविधा अनुभव करता है। फिर कर्मचारियों की अंग्रेजी में पहले से प्रचलित मसौदों व उनकी भाषा को दोहराने में हिंदी कार्य नागण्य है।

ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति चाहे वह हिंदी या भारतीय भाषाओं का प्रबल समर्थक ही व्यंग्न न हो, उपयुक्त व्यवस्थाओं के बलते उसके लिए संभव नहीं है कि वह व्यवसायिक क्षेत्र में पूरी तरह हिंदी का प्रयोग कर सके। यहाँ तक कि रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी के ज्ञान का अभाव कहीं कोई बाधा नहीं बनता, जबकि हिंदी के क्षेत्र में भी अंग्रेजी के ज्ञान के बिना रोजगार पाना असंभव सा है। यही वजह है कि देश में हर कोई आज अंग्रेजी माध्यम अपनाने के विकास है। ऐसे में हिंदी का विकास किस हद तक संभव है?

उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता के काफी वर्षों बाद तक भी आर्थिक वृद्धि से उच्च मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग व निम्नवर्ग के लोग अधिकांश: अपने बच्चों को शिक्षा के लिए हिंदी माध्यम या क्षेत्रीय भाषा माध्यम के स्कूलों में ही पढ़ते थे। लेकिन धीरे-धीरे जब आम आदमी ने अनुभव किया कि उच्चवर्गीय ही नहीं छोटे-छोटे व्यवसायों के लिए हिंदी की बजाए अंग्रेजी ज्ञान की ही आवश्यकता बनी हुई है। विकास की सभी दिशायें हिंदी की बजाए अंग्रेजी से ही निकल रही हैं तो लोगों का विवाद इस बात से उठ गया सरकार के वास्तव में हिंदी या स्वदेशी भाषाओं को रोजगार की भाषा बनाने के प्रति गंभीर है। तथा अनुसन्धान-इन वर्गों के लोगों ने अपने बच्चों को हिंदी की बजाए अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भेजना शुरू किया और आज स्थिति यह है कि हर वर्ग का व्यक्ति यथासंभव अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भेजना चाहता है।

किसी भाषा को रोजी-रोटी की भाषा बनाए बिना उसका विकास संभव नहीं है। देश की प्रशासन व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था व भाषा व्यवस्था के माध्यम से ऐसा कोई मार्ग
नहीं निकलता जिससे कि देश में हिंदी या अन्य कोई भारतीय भाषा रोजी-रोटी की भाषा बन सके। इसलिए देश की सर्वाधिक लोकप्रिय, प्रचलित, सक्षम तथा वैज्ञानिक भाषा होने के बावजूद, व्यावसायिक क्षेत्र में भी मौजूद व्यवहार की सर्वाधिक प्रचलित भाषा होने के बावजूद हिंदी व्यावसायिक क्षेत्र में हासिल पर आती जा रही है। जैसा कि पहले कहा गया है अंततः व्यवसाय की भाषा या दूँ कहें रोजी-रोटी की भाषा के समुख घर की भाषा को झुकना पड़ता है, इसीलिए यह न केवल हिंदी बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं के लिए भी चिंता का विषय है।

यदि भारत में हिंदी व भारतीय भाषाओं का विकास करना है तो हिंदी को रोजी-रोटी की भाषा अर्थात व्यावसायिक क्षेत्र की भाषा बनाना होगा। यह करने के लिए देश की प्रशासन, न्याय व शिक्षा व्यवस्था में आमूल चून परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। साथ ही हिंदी के विद्वानों को भी अपनी हठधर्मिता को हटाकर व्यावसायिक क्षेत्र के लिए व्यावहारिक, सरल, पारिभाषिक शब्दावली को स्वीकारणा होगा। इसके लिए अत्यधिक सामाजिक व राजनैतिक इत्तफाक अर्थ में बनानेवाली के साथ गंभीर प्रयास करने होंगे। हिंदी के विकास का भविष्य अब इस पर निर्भर है कि हम इसके लिए कितने तैयार हैं।